न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता – *बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस*

आर्म्स अपील संख्या 08/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सुभान खान पुत्र भाई खान, जाति मुसलमान निवासी बडी ढाणी बाप, तहसील बाप जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर।

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.7.2011 द्वारा पारित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह राठौड
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 20.5.2019

प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन पत्र 12 बोर गन के शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के समक्ष पेश किया। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसमे शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नही की गयी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गयी है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आर्म्स अपील संख्या 08/2018 सुभान खा बनाम राजस्थान सरकार

हमने उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी कृषि एवं पशुधन की सुरक्षा के लिये 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी मे उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट का चरित्र अच्छा है, अपीलान्ट के विरूद्ध को आपराधिक मुकदमा दर्ज नही है, अपीलान्ट को दण्ड प्रकिया संहिता की किन्ही धाराओं के अन्तर्गत पाबन्ध नही किया गया है। अन्त मे बिना कारण दिये हथयार दिये जाने की अनुशंषा नही की गयी।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट, के आधार अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदन बिना ठोस कारण दर्शाये खारीज कर दिया। जो कि विधि अनुसार उचित नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर, जोधपुर को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी मे प्रार्थी को हथयार दिये जाने की अनुशंषा नही की गयी। अपीलान्ट ने अपनी कृषि एवं पशुधन की सुरक्षा के लिये 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी मे उल्लेखित किया है कि अपीलान्ट का चरित्र अच्छा है, अपीलान्ट के विरूद्ध को आपराधिक मुकदमा दर्ज नही है, अपीलान्ट को दण्ड प्रकिया संहिता की किन्ही धाराओं के अन्तर्गत पाबन्ध नही किया गया है। अन्त मे बिना कारण दिये हथयार दिये जाने की अनुशंषा नही की गयी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्राप्त रिपोर्ट, के आधार एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र मे जान माल की सुरक्षा के संबंध मे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे की ग्यात हो की अपीलान्ट को का किस प्रकार का खतरा (Threat perception) है। इसी दृष्टिकोण को एवं आर्म्स अधिनियम मे दिये गये प्रावधानो, शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने संबंधी राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित है। मै अपीलाधीन आदेश से सहमत हूँ, इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारीज की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.2011 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठरी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर